



राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना।
आर0 ब्लॉक रोड नं0-02, पटना- 800001

संशोधित सूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-278 दिनांक-20.01.2023, पत्रांक-2586 दिनांक-14.06.2023 दिये गये निदेश के आलोक में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना में 03 निजी सहायकों को संविदा पर लेने हेतु (माननीय उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त निजी सहायकों) आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

2. पात्रता:-

- माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त निजी सहायक
- अधिकतम उम्र 65 वर्ष

संविदा के आधार पर अवकाश प्राप्त निजी सहायकों की सेवा-शर्त:-

- आवेदन निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना, आर ब्लॉक रोड नं0-02, पटना-800001 के कार्यालय में सिर्फ निबन्धित डाक द्वारा दिनांक-18.08.2023 तक प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त या अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार अथवा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक-1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते हैं।
- आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि/पी0पी0ओ0 (Pension payment order)/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- संविदा पर नियोजित निजी सहायक का चयन प्रथमतः 01 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए सेवा का विस्तार कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जायेगा।
- अवकाश प्राप्त निजी सहायकों का मासिक मानदेय पे मैट्रिक्स लेवल-7 (वेतनमान-44900 -142400) के अनुसार देय होगा।
- बिहार सरकार के गजट संख्या-605 दिनांक-25.07.2023 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में निजी सहायक को सम्मिलित किया गया जो प्रशासी विभाग के पत्रांक-2586 दिनांक-14.06.2023 पर प्रभावी होगा।
- अवकाश प्राप्त निजी सहायकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योग्यफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि अवकाश प्राप्त निजी सहायक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।
- निर्गत विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा विज्ञापन रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिहार, पटना को रहेगा।
- बनावटी तथा जाली प्रमाण-पत्र या कोई भी गलत सूचना दिये जाने पर आवेदक/आवेदिका की पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- आवेदक/आवेदिका को यह शपथ-पत्र देना होगा की उनके विरुद्ध कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है एवं जो भी सूचना दे रहे हैं वह सत्य है।

ae
20/08/2023
निबंधक

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
बिहार, पटना।